प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 16 जनवरी, 2018**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की योजना में गत वर्षों के लम्बित दायित्वों एवं वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त आवश्यकता हतु धनराशि रू0-64.22 लाख की व्यवस्था पुर्नविनियोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-215/बजट/2017-18 दिनांक 09.12.2017 के सन्दर्भ में एवं शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-169/ई-1/दस-2018, दिनांक- 10.01.2018 पृष्ठांकन संख्या-1318/58-2-2017-300(17)/2017 दिनांक-15.01.2018 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2415-80-004-07-राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की योजना में गत वर्षों के लम्बित दायित्वों एवं वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त आवश्यकता हतु धनराशि रू0-64.22 लाख की व्यवस्था लेखाशीर्षक 2401-119-04-0417-मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनान्तर्गत हो रही बचतों के सापेक्ष पुर्नविनियोग के माध्यम से निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक/मद का नाम	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	अवमुक्त की जा रही रही धनराशि
10	**2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान**			
	07-राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान			
	04-यात्रा व्यय	**1.20**	**1.41**	**1.41**
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	**-**	**0.16**	**0.16**
	08-कार्यालय व्यय	**0.75**	**2.30**	**2.30**
	09-विद्युत देय	**1.00**	**8.00**	**8.00**
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छापाई	**0.35**	**0.50**	**0.50**
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	**0.50**	**5.17**	**5.17**
	13-टेलीफोन पर व्यय	**0.30**	**0.10**	**0.10**
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	**0.50**	**2.76**	**2.76**
	16-व्यसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	**1.00**	**7.12**	**7.12**
	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व		**17.35**	**17.35**
	29- अनुरक्षण	**0.70**	**10.30**	**10.30**

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

	42-अन्य व्यय	**1.00**	**2.00**	**2.00**
	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	**0.40**	**2.00**	**2.00**
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	**0.25**	**0.55**	**0.55**
	47-कम्प्यूटर अनुक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का व्यय	**1.00**	**0.50**	**0.50**
	49-चिकित्सा व्यय	**2.40**	**4.00**	**4.00**
	योग-	**11.35**	**64.22**	**64.22**

(रूपया चौसाठ लाख बाईस हजार मात्र)

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- भण्डार क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

5- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

6- उक्त संस्थाओं को अनुदान की स्वीकृत धनराशि शासन द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

7- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

8- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2017/बी-1-02/दस-2017-201/2017, दिनांक-02.02.2017, संख्या-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 एवं संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक-20.11.2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

<u>संख्या02/2018/103(1)/58-2-2018, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in